

## कार्यकारी सारांश



## कार्यकारी सारांश

### प्रतिवेदन के बारे में

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2023-24 के राज्य वित्त पर है। यह वित्त, बजट प्रबंधन और लेखों की गुणवत्ता, वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धतियों और राज्य वित्त से संबंधित अन्य मामलों का अवलोकन प्रदान करता है। यह कार्यकारी सारांश इस प्रतिवेदन की विषय वस्तु पर प्रकाश डालता है और महत्वपूर्ण आंकड़ों और पहलुओं के स्नैपशॉट के माध्यम से राजकोषीय स्थिरता, बजट के प्रयोजन के सापेक्ष प्रदर्शन, राजस्व और व्यय अनुमान, भिन्नताओं के कारणों और इसके प्रभाव के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) (वर्तमान मूल्यों पर) वर्ष 2019-20 में ₹ 2,39,263 करोड़ से वर्ष 2023-24 में ₹ 3,46,206 करोड़ तक 8.85 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर से बढ़ा। राज्य का बजट परिव्यय 13.23 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर से बढ़कर वर्ष 2019-20 में ₹ 51,198 करोड़ से वर्ष 2023-24 में ₹ 88,728 करोड़ हो गया।

वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में स रा घ उ में 13.97 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राजस्व प्राप्तियों में 3.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई और स रा घ उ पर राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत वर्ष 2022-23 में 16.16 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2023-24 में 14.62 प्रतिशत हो गया। इस अवधि के दौरान कर राजस्व में 14.99 प्रतिशत की वृद्धि हुई और राज्य के अपने कर राजस्व में 12.53 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उत्तराखंड राज्य का कुल व्यय (राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम) वर्ष 2022-23 में ₹ 52,061 करोड़ से, 12.14 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 58,380 करोड़ हो गया। इसमें से राजस्व व्यय में वर्ष 2022-23 से 8.00 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। राजस्व अधिशेष ₹ 5,310 करोड़ से घटकर ₹ 3,341 करोड़ हो गया, जो वर्ष 2022-23 की तुलना में 37.08 प्रतिशत की कमी दर्ज करता है, जबकि राजकोषीय घाटा वर्ष 2022-23 में ₹ 2,949 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 162.77 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 7,749 करोड़ हो गया।

### प्राप्तियों की तुलना में व्यय

प्राप्तियों और व्यय के बीच निरंतर असंतुलन बढ़ते राजकोषीय दबाव का संकेत देता है। राज्य के पास प्राप्तियों के विभिन्न स्रोत हैं जैसे राज्य का अपना कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, करों में राज्यों के अंश का हस्तांतरण, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान

तथा हस्तांतरण और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ। राज्य सरकार के व्यय में राजस्व खाते पर व्यय के साथ-साथ पूंजीगत व्यय (परिसंपत्तियों का निर्माण, ऋण और अग्रिम, निवेश, आदि) शामिल हैं।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक, राजस्व प्राप्तियां 10.52 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर के साथ ₹ 30,723 करोड़ से बढ़कर ₹ 50,615 करोड़ हो गईं। इस अवधि के दौरान पूंजीगत प्राप्तियां भी ₹ 6,167 करोड़ से बढ़कर ₹ 9,928 करोड़ हो गईं। राजस्व प्राप्तियों में सहायता अनुदान का अंश 2019-20 में 27.04 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 28.30 प्रतिशत हो गया, जो भारत सरकार से सहायता पर बढ़ती निर्भरता को दर्शाता है। राज्य सरकार को वर्ष 2023-24 के दौरान केंद्रीय पुरोनिर्धारित योजनाओं (सी एस एस) के लिए सहायक अनुदान के रूप में ₹ 5,675.90 करोड़ प्राप्त हुआ।

राजस्व व्यय सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और पिछले दायित्व के भुगतान के लिए किया जाता है। इस प्रकार, इससे राज्य के बुनियादी ढांचे और सेवा नेटवर्क में कोई वृद्धि नहीं होती है। वर्ष 2019-20 और 2023-24 के बीच, राजस्व व्यय ₹ 32,859 करोड़ (स रा घ उ का 13.73 प्रतिशत) से बढ़कर ₹ 47,274 करोड़ (स रा घ उ का 13.65 का प्रतिशत) हो गया। इस अवधि के दौरान यह लगातार कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण अंश (81 से 86 प्रतिशत) रहा, जो 8.07 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ रहा था।

### व्यय विश्लेषण

राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच के अंतर के परिणामस्वरूप राजस्व घाटा होता है। वर्ष 2019-20 में राज्य का राजस्व घाटा ₹ 2,136 करोड़ (स रा घ उ का 0.89 प्रतिशत) था, जो चालू वर्ष में ₹ 3,341 करोड़ (स रा घ उ का 0.97 प्रतिशत) के राजस्व अधिशेष में बदल गया था।

राज्य सरकार ने पूंजीगत खाते पर ₹ 10,982 करोड़ खर्च किए। यह वर्ष 2023-24 में कुल व्यय का 18.81 प्रतिशत था।

राज्य के कुल व्यय और कुल गैर-ऋण प्राप्ति के बीच के अंतर के परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटा होता है। राज्य का राजकोषीय घाटा वर्ष 2022-23 में ₹ 2,949 करोड़ (स रा घ उ का 0.97 प्रतिशत) से बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 7,749 करोड़ (स रा घ उ का 2.24 प्रतिशत) हो गया।

राजस्व व्यय के अंतर्गत, प्रतिबद्ध व्यय की मात्रा सबसे बड़ा हिस्सा है। प्रतिबद्ध व्यय का पहला प्रभार संसाधनों पर होता है और इसमें ब्याज का भुगतान, वेतन व मजदूरी पर व्यय और पेंशन शामिल होते हैं। ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन पर प्रतिबद्ध व्यय

वर्ष 2019-20 (66.12 प्रतिशत) और 2023-24 (57.39 प्रतिशत) के दौरान राजस्व व्यय का 57 से 66 प्रतिशत था। प्रतिबद्ध व्यय 4.89 प्रतिशत की औसत दर से बढ़ा, यानी वर्ष 2019-20 में ₹ 21,725 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 27,130 करोड़ {वर्ष 2022-23 (₹ 25,800 करोड़) से 5.16 प्रतिशत की वृद्धि}।

प्रतिबद्ध व्यय के अतिरिक्त, अनम्य व्यय वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान राजस्व व्यय के 6.10 प्रतिशत से बढ़कर 7.93 प्रतिशत हो गया, जो बढ़ती प्रवृत्ति का संकेत देता है। अनम्य व्यय वर्ष 2022-23 में ₹ 2,549 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 3,750 करोड़ हो गया, जो 47.12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है। वर्ष 2019-20 (₹ 2,004 करोड़) से 2023-24 (₹ 3,750 करोड़) की अवधि के दौरान अनम्य व्यय की औसत वृद्धि 17.57 प्रतिशत थी।

कुल मिलाकर, वर्ष 2023-24 में प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय ₹ 30,880 करोड़ था जो राजस्व व्यय का 65 प्रतिशत था। प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय की बढ़ती प्रवृत्ति सरकार के लिए अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और पूंजीगत निर्माण के लिए कम लचीलेपन की स्थिति पैदा करती है।

### गैर-प्रतिबद्ध व्यय में सब्सिडी

गैर-प्रतिबद्ध व्यय के भीतर, सब्सिडी की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जो वर्ष 2019-20 में ₹ 35 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 428 करोड़ हो गई है, अर्थात् वर्ष 2019-20 में कुल राजस्व व्यय के 0.11 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 0.91 प्रतिशत हो गई है। खाद्य भंडारण और भंडारण के अंतर्गत खाद्य सब्सिडी (₹ 104 करोड़) चालू वर्ष के दौरान कुल सब्सिडी का 24.30 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने अंतर्निहित सब्सिडी पर भी ₹ 76.54 करोड़ व्यय किए।

### प्रत्याभूतियों के कारण आकस्मिक देनदारियाँ

वर्ष 2023-24 में, सरकार ने ₹ 167 करोड़ के ऋण के सापेक्ष प्रत्याभूतियां प्रदान कीं। वर्ष के दौरान कोई प्रत्याभूति मांगी नहीं गई थी। राज्य सरकार को गारंटी कमीशन के रूप में ₹ 0.23 करोड़ प्राप्त हुए।

### राजकोषीय स्थिरता

राजकोषीय स्थिरता की जांच घाटे, ऋण और देनदारियों के स्तर, बजट से बाहर ऋण, प्रत्याभूति, सब्सिडी आदि जैसे वृहत राजकोषीय मानकों के संदर्भ में की जाती है। जहाँ तक राजस्व और व्यय के असंतुलन का संबंध है, महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय है, जिसमें वेतन एवं मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज तथा अन्य

अनम्य व्यय जो कि केंद्रीय पुरोनिर्धारित योजनाओं के लिए प्रतिबद्धता, आरक्षित निधियों में हस्तांतरण, स्थानीय निकायों को हस्तांतरण आदि से उत्पन्न होते हैं आदि शामिल हैं।

### एफ आर बी एम की आवश्यकताएँ और राजकोषीय मानकों का अनुपालन

एफ आर बी एम अधिनियम/नियमावली कुछ सीमाएं निर्धारित करती हैं जिनके भीतर, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) के प्रतिशत के रूप में ऋण होना चाहिए और इसी तरह बकाया प्रत्याभूति को उस विशेष वर्ष के स रा घ उ के एक प्रतिशत के भीतर सीमित किया जाता है और किसी भी वर्ष के दौरान दी गई नई प्रत्याभूति उस वर्ष के स रा घ उ के 0.30 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

एफ आर बी एम अधिनियम के अनुसार राजस्व घाटा शून्य होना चाहिए। इस लक्ष्य के सापेक्ष राज्य सरकार को वर्ष 2023-24 में, ₹ 3,341 करोड़ का राजस्व अधिशेष प्राप्त हुआ, जो स रा घ उ का 0.97 प्रतिशत था; राजकोषीय घाटा स रा घ उ के 3.00 प्रतिशत की सीमा के सापेक्ष 2.24 प्रतिशत था; एफ आर बी एम अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित स रा घ उ के 33.10 प्रतिशत की सीमा के सापेक्ष ऋण 23.18 प्रतिशत (वर्ष 2021-22 तक भारत सरकार से प्राप्त जी एस टी मुआवजे के बदले बैंक-टु-बैंक ऋण ₹ 5,649 करोड़ की राशि को छोड़कर) था। इसी तरह, 31 मार्च 2024 तक कुल बकाया प्रत्याभूतियां 119 करोड़ थीं जो उस वर्ष के लिए स रा घ उ का 0.03 प्रतिशत थीं और इस प्रकार एफ आर बी एम सीमा के भीतर थीं। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान दी गई प्रत्याभूतियां स रा घ उ के 0.30 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में 0.05 प्रतिशत थीं।

ऋण स्थिरीकरण विश्लेषण के अनुसार, स रा घ उ से कुल देनदारियों के अनुपात के द्वारा मापा गया राज्य का ऋण बोझ, वर्ष 2020-21 तक बढ़ती प्रवृत्ति दिखाने के बाद सुधारने लगा, तथा अवधि (2019-2024) के अन्तिम तीन वर्षों में लगातार गिरावट देखी गई है जो कि ऋण स्थिरता को दर्शाता है। ऋण-स रा घ उ अनुपात वर्ष 2018-19 में 25.20 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 27.58 प्रतिशत और पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 में 31.66 प्रतिशत हो गया। महामारी के प्रभाव के कारण वर्ष 2020-21 में 4.08 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज करने के बाद, जब नाममात्र की वृद्धि 5.70 प्रतिशत तक घटी, तो महामारी के बाद के वर्ष (2021-22) में यह घटकर 26.72 प्रतिशत हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.94 प्रतिशत का महत्वपूर्ण

सुधार दर्ज करता है। गिरावट की प्रवृत्ति के बाद, समग्र देनदारियों-स रा घ उ अनुपात वर्ष 2022-23 में 23.98 प्रतिशत और वर्ष 2023-24 में 23.18 प्रतिशत तक पहुंच गया। वर्ष 2021-22 के बाद से समग्र देनदारियों-स रा घ उ अनुपात द्वारा मापे गए राज्य के ऋण बोझ में लगातार गिरावट से संकेत मिलता है कि यह स्थिर होने लगा है।

डोमर मानदंड के अनुसार, उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति के बावजूद, महामारी वर्ष (2020-21) को छोड़कर वर्ष 2019-24 के दौरान वास्तविक ब्याज दर अनुकूल रही जिस कारण वास्तविक विकास में 12.10 प्रतिशत का महत्वपूर्ण संकुचन दिखा। नाममात्र वृद्धि और प्रभावी ब्याज दर दोनों पर बड़े पैमाने पर मुद्रास्फीति का प्रभाव रहा। पाँच साल की कम वास्तविक ब्याज दर के बावजूद, जब सी पी आई मुद्रास्फीति प्रभावी नाममात्र ब्याज दर के स्तर तक लगभग तेज हो गई, तो वर्ष 2020-21 में जी आई डी प्रतिकूल हो गई। इसके बाद, सी पी आई मुद्रास्फीति में ढील द्वारा समर्थित लगातार आर्थिक विकास ने जी आई डी को अगले तीन वर्षों तक अनुकूल रहने में मदद की। औसतन, वर्ष 2019-24 की अवधि के दौरान सी पी आई मुद्रास्फीति आर बी आई द्वारा निर्धारित 2-6 प्रतिशत की स्वीकार्य सीमा से ऊपर रही।

सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों का एक बड़ा हिस्सा ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए उपयोग किया जा रहा था, जो वर्ष 2019-24 के अवधि के दौरान 30 प्रतिशत से 81 प्रतिशत के बीच था।

## बजट प्रदर्शन

### कुल व्यय परिणाम

बजटीय उद्देश्य और बजट क्रियान्वयन के संदर्भ में बजट प्रदर्शन की जांच इस बात का आकलन करने के लिए की जाती है कि कुल व्यय परिणाम किस हद तक अतिरिक्त और बचत दोनों के संदर्भ में मूल रूप से स्वीकृत राशि को दर्शाता है। राजस्व खंड में, बजट अनुमानों (बी ई) के सापेक्ष वास्तविक प्राप्तियों में (-)10.38 प्रतिशत का विचलन था। यह 20 अनुदानों में  $\pm 25$  प्रतिशत तक, नौ अनुदानों में  $\pm 25$  प्रतिशत और  $\pm 50$  प्रतिशत और दो अनुदानों में  $\pm 50$  प्रतिशत और  $\pm 100$  प्रतिशत के बीच विचलन के कारण था। पूंजी खंड में, बी ई की तुलना में परिणाम में विचलन (+)39.24 प्रतिशत था। यह एक अनुदान में शून्य प्रतिशत के बराबर, 15 अनुदानों में  $\pm 25$  प्रतिशत तक, छह अनुदानों में  $\pm 25$  प्रतिशत से  $\pm 50$  प्रतिशत के बीच, सात अनुदानों में  $\pm 50$  प्रतिशत से  $\pm 100$  प्रतिशत के बीच और दो अनुदानों में 100 प्रतिशत और उससे अधिक के

बराबर विचलन के कारण था। पूँजीगत खंड के दो अनुदानों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

### व्यय संरचना परिणाम

बजट प्रदर्शन यह भी देखता है कि निष्पादन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के बीच पुनः आवंटन ने व्यय संरचना में भिन्नता में किस हद तक योगदान दिया है। यह उपाय अंतिम बजट और वास्तविक व्यय के बीच अंतर की सीमा को दर्शाता है। राजस्व खंड में, संशोधित अनुमानों (स अ) की तुलना में परिणाम में विचलन (-) 8.36 प्रतिशत था। यह 25 अनुदानों में  $\pm 25$  प्रतिशत तक, पाँच अनुदानों में  $\pm 25$  प्रतिशत से  $\pm 50$  प्रतिशत और एक अनुदान में  $\pm 50$  प्रतिशत से  $\pm 100$  प्रतिशत के बीच विचलन के कारण था। पूँजी खंड में, स अ की तुलना में परिणाम में विचलन (+) 30.54 प्रतिशत था। यह 18 अनुदानों में  $\pm 25$  प्रतिशत तक, पाँच अनुदानों में  $\pm 25$  प्रतिशत और  $\pm 50$  प्रतिशत के बीच, चार अनुदानों में  $\pm 50$  प्रतिशत से  $\pm 100$  प्रतिशत के बीच और दो अनुदानों में 100 प्रतिशत और उससे अधिक के बराबर विचलन के कारण था। तथापि, पूँजीगत खंड में दो अनुदानों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

यह देखा गया कि वर्ष 2023-24 के दौरान 24 मामलों में (प्रत्येक मामले में ₹ दस करोड़ से अधिक) ₹ 4,183.84 करोड़ के पूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए, क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं पहुंचा।

समग्र बजट विश्वसनीयता आकलन इंगित करता है कि हालांकि वास्तविक व्यय और मूल बजट के बीच विचलन 5.43 प्रतिशत से अधिक और वास्तविक व्यय और अंतिम बजट के बीच 4.78 प्रतिशत से अधिक था, लेकिन विभिन्न अनुदानों में 25 प्रतिशत और उससे भी अधिक विचलन थे। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि कई मामलों में ऐसे पूरक अनुदान थे जहां व्यय मूल अनुदान तक भी नहीं था। एक विश्वसनीय बजट पद्धति के द्वारा इस तरह के विचलन से निपटा जाना चाहिए।

### लेखाओं की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग

लेखाओं की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग में ऐसी मद्दे, लेन-देन और घटनाएँ शामिल हैं जो अनुपालन में अंतराल, नियमितता की कमजोरियों और उन लेखांकन अभिलेखों या समायोजन अभिलेखों की प्राप्ति में देरी से संबंधित मुद्दों से संबंधित हैं जो वास्तविक व्यय का प्रमाण देते हैं। यह लेखों और वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित मुद्दों पर भी प्रकाश

डालता है जैसे कि सरकारी लेखों के बाहर धन जमा करना, देनदारियों का गैर या अल्प-निर्वहन और लेन-देन और डेटा अंतराल का गलत वर्गीकरण।

### अनुदानों/विनियोजनों से अधिक राशि को नियमित करना

राज्य सरकार को संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 (1) (ब) के अनुसार अनुदानों/विनियोजनों से आधिक्य को राज्य विधानमंडल द्वारा नियमित कराना होता है। यह देखा गया कि वर्ष 2023-24 में एक अनुदान के अंतर्गत ₹ 7,302.10 करोड़ का अधिक व्यय था जिसे नियमित करने की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2005-06 से 2022-23 से संबंधित ₹ 48,654.69 करोड़ के अधिक संवितरण को अभी तक नियमित नहीं किया गया था।

### मिलान

उत्तराखंड बजट मैनुअल 2012 के प्रस्तर 109 के अनुसार, सभी नियंत्रण अधिकारियों को प्रत्येक माह महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय में अभिलिखित आंकड़ों के साथ सरकार की प्राप्तियों और व्यय का मिलान करना अपेक्षित है।

राज्य सरकार ने कुल व्यय के 13.00 प्रतिशत और प्राप्तियों के 4.94 प्रतिशत का मिलान नहीं किया था।

### लेखों में गलत वर्गीकरण

यह देखा गया कि राजस्व खण्ड के अंतर्गत ₹ 62.66 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया था। यह व्यय पूंजीगत खण्ड के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था, क्योंकि यह व्यय वृहद निर्माण और भूमि खरीद से संबंधित था। इसके अतिरिक्त पूंजीगत खंड के अंतर्गत ₹ 605.82 करोड़ का व्यय किया गया था। इस व्यय को राजस्व खंड के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था, क्योंकि यह व्यय सहायता अनुदान से संबंधित था।

### भारत सरकार के लेखा मानकों का अनुपालन

भारत सरकार के लेखा मानकों (आई जी ए एस) की आवश्यकताओं के विपरीत, राज्य सरकार ने आंशिक रूप से आई जी ए एस-1: सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां; आई जी ए एस-2: सहायता अनुदान का लेखांकन और वर्गीकरण; और आई जी ए एस-3: सरकार द्वारा दिया गया ऋण और अग्रिम, का आंशिक रूप से अनुपालन किया गया।

### एकल नोडल एजेंसी को धनराशि

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या 1 (13) पी एफ एम एस/एफ सी डी/2020 दिनांक 23 मार्च 2021 के माध्यम से केंद्रीय पुरोनिर्धारित योजना (सी एस एस) के

अंतर्गत धनराशि जारी करने और एस एन ए के माध्यम से जारी धनराशि के उपयोग की निगरानी के लिए प्रक्रिया अधिसूचित की गई थी। प्रत्येक सी एस एस के लिए, एस एन ए राज्य सरकार द्वारा सरकारी लेन-देन करने के लिए अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में अपने बैंक खाते के साथ स्थापित किया जाता है। प्रक्रिया के अनुसार, राज्य सरकार अपने लेखों में प्राप्त केंद्रीय अंश को, संगत राज्यांश के साथ संबंधित एस एन ए के खाते में स्थानांतरित करती है।

पी एफ एम एस पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार को वर्ष के दौरान केंद्रीय अंश के रूप में ₹ 4,509.85 करोड़ अपने राजकोष खाते में प्राप्त हुए, जिसके सापेक्ष राज्य सरकार ने केंद्रांश के रूप में ₹ 4,907.20 करोड़, राज्यांश के रूप में ₹ 1,400.43 करोड़ और अवर्गीकृत राशि एवं टॉप-अप के रूप में ₹ 258.57 करोड़ एस एन ए को हस्तांतरित किया। ₹ 6,566.20 करोड़ का कुल हस्तांतरण पूर्ण रूप से प्रमाणित किए गए आकस्मिक बिलों के माध्यम से किया गया था। महालेखाकार कार्यालय को एस एन ए से वास्तविक व्यय के विस्तृत वाउचर और सहायक दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए थे। पी एफ एम एस पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार 31 मार्च 2024 तक एस एन ए के बैंक खातों में ₹ 2,773.16 करोड़ बिना खर्च किए पड़े हैं।

#### **सशर्त अनुदानों के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र**

एक निर्धारित समय अवधि के भीतर सशर्त अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू सी) जमा करने की आवश्यकता के बावजूद, 31 मार्च 2024 तक ₹ 1,395.68 करोड़ के 210 बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित थे।

उपयोगिता प्रमाणपत्र न होने की स्थिति में, यह पता नहीं लगाया जा सका कि क्या प्राप्तकर्ताओं ने अनुदान का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया था जिसके लिए ये स्वीकृत किए गए थे। उपयोगिता प्रमाणपत्र का लंबित होना, निधियों के दुर्विनियोजन के जोखिम की संभावना से युक्त था।

#### **सार आकस्मिक (ए सी) बिलों के सापेक्ष विस्तृत आकस्मिक (डी सी) बिल**

इसी प्रकार, सार आकस्मिक (ए सी) बिलों के माध्यम से आहरित अग्रिम धन के सापेक्ष विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डी सी सी) बिल जमा करने की आवश्यकता के बावजूद, 31 मार्च 2024 तक ₹ 17.92 करोड़ के 164 ए सी बिल के सापेक्ष डी सी सी

बिल जमा कराये जाने हेतु लंबित थे, जिनमें से ₹ 7.05 करोड़ की राशि के 27 ए सी बिल वर्ष 2021-22 और 2022-23 की अवधि से संबंधित हैं।

आहरित किये गये अग्रिम जो लेखाबद्ध नहीं किए गए हैं अपव्यय/दुर्विनियोजन/दुष्कृत्य की संभावना को बढ़ाते हैं इसलिए, डी सी सी बिल जमा हों यह ही सुनिश्चित करने के लिए कड़े अनुवीक्षण की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, डी सी सी बिलों की प्राप्त न होने की सीमा तक, वित्त लेखों में दिखाए गए व्यय को सही या अंतिम रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

विद्यमान नियमों और संहितात्मक प्रावधानों का अनुपालन का उद्देश्य लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग में नियंत्रण और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। गैर-अनुपालन और विचलन, लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। सशर्त अनुदान के सापेक्ष यू सी को समय पर जमा न करने; ए सी बिलों के सापेक्ष डी सी सी बिल जमा न करने; आई जी ए एस-1, 2 और 3 का पालन न करने; और एस एन ए से व्यय के विवरण की आपूर्ति न करने से लेखों की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

\*\*\*

